संख्या:50/2017/2513/12-2-2017-60(6)/2017 टीसी-11

प्रेषक,

राजीव कुमार,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 21 अगस्त, 2017

विषय: प्रदेश के पात्र/अर्ह लघु एवं सीमान्त कृषकों को ऋण मोचन प्रमाण पत्र वितरित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के पात्र/अर्ह लघु एवं सीमान्त कृषकों को ऋण मोचन प्रमाण पत्र वितरित किए जाने के सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही किए जाने का निर्णय लिया गया है:-

(1) जनपद स्तर पर कैम्प के आयोजन की तिथि 05 सितम्बर, 2017 रखी जाय ताकि उक्त तिथि में कैम्प लगाकर ऋण मोचन प्रमाण पत्र का वितरण किया जाय। इन जनपदों में कैम्प की अध्यक्षता जनपद के मा0 प्रभारी मंत्रीगण द्वारा किया जायेगा। यदि किसी मा0 प्रभारी मंत्री जी के पास दो जनपद हैं तो अगली तिथि 8 सितम्बर, 2017 रखी जाय ताकि मा0 प्रभारी मंत्री जी दोनों आवंटित जनपदों की अध्यक्षता कर सकें।

(2) संबंधित जिलाधिकारी द्वारा अपने जिले से संबंधित जनप्रतिनिधिगण यथा मा0 मंत्रीगणों/मा0 सांसदगणों/मा0 विधायकों इत्यादि को अपने स्तर से आमंत्रित किया जाये।

(3) जनपद स्तर पर कैम्प आयोजित होने के उपरान्त जिला प्रशासन द्वारा अगले एक सप्ताह के भीतर जनपद की समस्त तहसीलों में अपनी सुविधानुसार तहसीलों में कैम्प का आयोजन कर ऋण मोचन प्रमाण पत्र वितरित कराया जाये जिसमें जिलाधिकारी द्वारा स्थानीय जनप्रतिनिधियों यथा मा0 मंत्रीगणों/मा0 सांसदों/मा0 विधायकगणों इत्यादि को आमंत्रित किया जायेगा।

(4) तहसील स्तर पर कैम्प आयोजित होने की अन्तिम तिथि के उपरान्त आगामी 15 दिनों में जिलों में प्रत्येक बैंक स्तर पर पखवारों का आयोजन कराया जाये जिसमें अवशेष अभ्यर्थी बैंकों से सम्पर्क कर प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे।

(5) पखवाडों के आयोजन का कार्य 30 सितम्बर के पूर्व सुनिश्चित कराने हेतु जिलाधिकारी द्वारा अपने स्तर से बैंकों के माध्यम से कार्य योजना बनाकर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

(6) मा0 मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले कैम्प में प्रतिभाग करने वाले कृषकों की संख्या लगभग 11000 होगी और उपर्युक्त प्रति कैम्प अधिकतम लागत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

रूपये 35.00 लाख तक रखी गयी है। उक्त के अतिरिक्त मा0 प्रभारी मंत्रीगण/अन्य महानुभावों की उपस्थिति में आयोजित कैम्प में प्रतिभाग करने वाले कृषकों की संख्या लगभग 5000 रखी गयी है तथा कैम्प आयोजन पर व्यय की अधिकतम सीमा रूपये 10.00 लाख रखी गयी है। तहसील स्तर पर कैम्पों में प्रतिभाग करने वाले कृषकों की संख्या लगभग 2000 हजार रखी गयी है तथा कैम्प आयोजन पर व्यय की अधिकतम सीमा रूपये 2.50 लाख रखी गयी है।

(7) मा0 मुख्य मंत्री जी के कार्यक्रमों के सम्बन्ध में यथासमय पृथक से सूचित कर दिया जायेगा।

भवदीय,

(राजीव कुमार)
मुख्य सचिव।

संख्या: 50/2017/2513/12-2-2017 तद्दिनांक।

1. कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
2. अपर मुख्य सचिव, संस्थागत वित्त विभाग महोदय के सादर अवलोकनार्थ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, संस्थागत वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. महानिदेशक, संस्थागत वित्त एवं सर्वहित बीमा निदेशालय, लखनऊ।
3. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, लखनऊ।
4. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(पवन कुमार)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।